



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या - 199 सन् 2026

राम पाल सिंह और अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : संजय कुमार पुंडीर, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी, कृष्णा मोहन अस्थाना

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख में ले लिया गया है।
2. अपीलकर्तागण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधा कांत ओझा, जिनकी सहायता श्री संजय कुमार पुंडीर कर रहे थे, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मोहन अस्थाना की दलीलें सुनी गईं।
3. यह अपील दिनांक 25.02.2026 के उस आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 7663/2026 का कुछ टिप्पणियों के साथ निस्तारण किया है।
4. यह रिट याचिका प्रयागराज के निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (माध्यमिक) द्वारा क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिनांक 27.01.2026 को जारी आदेश/पत्र को चुनौती देते हुए दायर की गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थी, जिसमें क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को बिजनौर जिले के बालापुर अखड़ा स्थित चाचा नेहरू स्मारक अंतर महाविद्यालय के सदस्यता विवाद के निस्तारण के लिए 19.02.2026 को दोपहर 12:00 बजे अतिरिक्त निदेशक के कार्यालय में बैठक आयोजित करने की सूचना दी गई थी। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई थी कि प्रतिवादी प्राधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर को निर्देश दिया जाए कि वे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के माध्यम से और पीठासीन अधिकारी की देखरेख में, एक निर्धारित समयावधि के भीतर संस्था की प्रबंधन समिति के नए चुनाव कराने के लिए उचित आदेश पारित करें और याचिकाकर्तागण (प्रतिवादी संख्या 5 और 6) की प्रबंधन समिति के कामकाज में हस्तक्षेप न करें।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह ध्यान में रखते हुए कि प्रबंधन समिति का कार्यकाल 23.02.2026 तक था, जिसमें एक महीने की छूट अवधि भी शामिल थी, आक्षेपित आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया और याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि चूंकि इस स्तर पर संबंधित प्रतिवादी ने केवल संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है, इसलिए कोई अवैधता नहीं हुई है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि प्रतिवादी गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित करना चाहता है, तो उसे पहले यह तय करना होगा कि क्या उसे प्रबंधन समिति और सदस्यता के विवाद के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। आदेश के अंत में, प्रस्तर संख्या 6 में यह टिप्पणी की गई कि 'इस बीच, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है, तो नए चुनाव की कार्यवाही जारी रह सकती है'।

6. अपीलकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि एक ओर तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.01.2026 के आदेश/संचार को रद्द करने से इनकार कर दिया है और यह टिप्पणी की है कि यदि प्रतिवादी प्राधिकरण गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित करता है, तो प्रबंधन समिति और सदस्यता के विवाद पर निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र पर सवाल पहले उठाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर नए चुनाव कराने के संबंध में एक अनुचित टिप्पणी की गई है।

7. यह निवेदन किया गया है कि आदेश के छठे अनुच्छेद में निहित टिप्पणी का लाभ उठाते हुए, प्रतिवादीगण ने समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक 16.03.2026 की सूचना के अनुसरण में



गुप्तचुप तरीके से और गैरकानूनी रूप से चुनाव आयोजित किए हैं और चुनाव अवैध रूप से 23.03.2026 (अर्थात कल) को आयोजित किए गए हैं।

8. आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्तागण को चुनाव कार्यवाही और उसके परिणाम के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज करने का पूरा अधिकार है, हालांकि, ऐसी कोई आपत्ति दर्ज होने की स्थिति में, उस पर उचित विचार नहीं किया जाएगा और प्राधिकरण यह कहते हुए चुनावों को वैध ठहराएगा कि रिट न्यायालय ने आदेश के छठे अनुच्छेद में की गई टिप्पणियों के अनुसार चुनावों को आयोजित करने की अनुमति दी थी।

9. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि किसी भी स्थिति में, यदि अपीलकर्तागण को चुनाव कार्यवाही और उसके परिणाम के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, उनके गुणों के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है।

10. इसके विपरीत, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रबंधन समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 23.03.2026 को नए चुनाव हो चुके हैं, इसलिए विशेष अपील निष्प्रभावी हो गई है। अतः, याचिका के माध्यम से उठाया गया मुद्दा आज की तारीख में न तो प्रासंगिक है और न ही इस अपील में कोई अन्य निर्देश जारी किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

11. हमने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

12. हमारी राय में, माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.01.2026 के उस पत्र में हस्तक्षेप करने से सही ढंग से इनकार कर दिया, जिसमें सदस्यता विवाद पर विचार और निस्तारण के संबंध में शिक्षा के अपर निदेशक द्वारा एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, माननीय एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से यह टिप्पणी की कि यदि प्राधिकरण गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित करता है, तो उसे पहले यह तय करना होगा कि क्या उसे प्रबंधन समिति और सदस्यता के विवाद के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपर्युक्त अवलोकन किए जाने के बाद, नए चुनाव कराने के संबंध में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी, और इस संबंध में श्री ओझा की आशंका में दम प्रतीत होता है कि यदि 23.03.2026 को हुए चुनावों के बाद अपीलकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपति दर्ज कराते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां प्राधिकारी केवल इस आधार पर आपतियों को खारिज कर दे कि चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति या आदेश के अनुपालन में आयोजित किए गए हैं।

14. हमारा यह मत है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के प्रस्तर 6 में की गई टिप्पणियाँ उचित नहीं थीं और किसी भी प्रकरण में, चूंकि चुनाव हो चुके हैं और उनकी वैधता की जांच उचित कार्यवाही में की जानी है, इसलिए हम कुछ टिप्पणियों के साथ इस अपील का निस्तारण करने के इच्छुक हैं।

15. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विशेष अपील का निस्तारण इस स्पष्टीकरण के साथ किया जाता है कि रिट सी संख्या 7663/2026 में दिनांक 25.02.2026 को पारित आदेश के प्रस्तर 6 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई मात्र टिप्पणियों को रिट याचिकाकर्तागण (प्रतिवादी संख्या 5 और 6) के पक्ष में चुनाव कराने के लिए प्राधिकार नहीं माना जाएगा और न ही इसे स्वयं चुनाव कार्यवाही या उसके परिणाम को वैध ठहराने वाला माना जाएगा।

16. यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि चुनाव या उसके परिणाम से असंतुष्ट पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपति दर्ज कराते हैं, तो उन पर विधिवत रूप से और उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसमें विरोधी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के प्रस्तर 6 में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं हुआ जाएगा।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

24 मार्च, 2026

साजिया